भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1958
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए किसानों को सहायता

†1958. श्रीअनूप संजय धोत्रे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच सीधे संपर्क को किस प्रकार सुकर बना रही है;

(ख) आपूर्ति श्रृंखला दक्षता के लिए अनुबंध खेती और एग्रीगेटर्स को बढ़ावा देने हेतु विद्यमान पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन को अपनाने में किसानों को किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) मूल्य संवर्धन हेतु किसानों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एक केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं। पीएमकेएसवाई के घटक योजना दिशानिर्देशों में एफपीओ के लिए निम्नलिखित अधिमान्य प्रावधान किए गए हैं:

i . सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 1.5 गुना की तुलना में नेट वर्थ की आवश्यकता को मांगे गए अनुदान के बराबर राशि तक घटा दिया गया है;

ii. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में सावधि ऋण की आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक घटा दिया गया है;

iii. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में इक्विटी आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक घटा दिया गया है;

iv. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 35% की तुलना में पात्र परियोजना लागत के 50% के बढ़े हुए स्तर पर अनुदान की मात्रा (संबंधित उप-योजनाओं के तहत अधिकतम सीमा के अधीन);

v. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना परियोजनाओं के संबंध में न्यूनतम परियोजना लागत की आवश्यकता को तीन करोड़ रुपये की तुलना में घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है [अन्य घटक योजनाओं के लिए, ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है]

पीएमकेएसवाई की एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना घटक योजना के अंतर्गत, लक्षित उपज के संग्रहण क्षेत्र में कृषि स्तरीय अवसंरचना का निर्माण अनिवार्य है। इसी प्रकार, पीएमकेएसवाई की ऑपरेशन ग्रीन्स घटक योजना की एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं, नए एफपीओ का गठन,

नियंत्रित तापमान / हवादार वाहन और विपणन अवसंरचना (फ्रोजन स्टोरेज / कोल्ड रूम / कोल्ड स्टोरेज / डीप फ्रीजर / रेफ्रिजरेटेड डिस्प्ले कैबिनेट / चिलर / पैकिंग / पैकेजिंग / राईपनिंग चेम्बर आदि जैसी सुविधाओं के साथ शीघ्र खराब होने वालेउत्पादों के लिए खुदरा दुकानों की श्रृंखला) अनिवार्य हैं।

ये सभी किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच संबंध बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार किसानों की आय बढ़ाते हैं।

(ग) और (घ): पीएमएफएमई योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन और संचालन हेतु, यथा लागू, एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंसिंग सहित, सहायक सहायता प्रदान करती है। पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, सभी सूक्ष्म खाद्य उद्यमों तक खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई विनियमों, सुरक्षा और स्वच्छता पद्धतियों, खाद्य गुणवत्ता परीक्षण मानदंडों आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रशिक्षकों (मास्टर प्रशिक्षकों, जिला स्तरीय प्रशिक्षकों), जिला संसाधन व्यक्तियों, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और विभिन्न अन्य समूहों (एसएचजी/एफपीओ/सहकारिता) के प्रशिक्षण के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। पीएमएफएमई योजना के संबंधित घटक के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विशेष प्रयोजन वाहन को ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% तक अनुदान उपलब्ध है।

*****